# 

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1620] No. 1620] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2011/भाद्र 1, 1933

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2011/BHADRA 1, 1933

# वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2011

का.आ. 1948(अ).—यत: मै. जेएसएल लिमिटेड (पूर्वत:, मै. जिंदल स्टेनलैस स्टील लिमिटेड) ने उड़ीसा राज्य के किलंगनगर में स्टेनलैस स्टील तथा सहायक/अनुषंगी उद्योग हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था:

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 28 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2004(अ) में 142.115 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया;

और यत:, मै. जेएसएल लिमिटेड ने सम्पूर्ण 142.115 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनिधसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 21 सितम्बर, 2010 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अत: अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 की धारा 1 के अनुसरण में केन्द्र सरकार उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त करती है। सिवाय उन चीजों के जो ऐसे निरसन के पूर्व कारित की गई हैं या कारित किए जाने से निवारित की गई हैं।

> [फा. सं. एफ. 2/444/2006-एसईजेड] अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd August, 2011

S.O. 1948(E).—Whereas, M/s. JSL Limited (Formerly, M/s. Jindal Stainless Steel Limited) had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for stainless steel and ancillary/downstream industry at Kalinganagar in the State of Orissa;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 142.115 hectares at the above location as Special Economic Zone vide the Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2004(E), dated 28th November, 2007;

And, whereas, M/s. JSL Limited has proposed to denotify the entire area of 142.115 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for denotification of above area on 21st September, 2010;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

> [F. No. F. 2/444/2006-SEZ] ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.

3208 GI/2011